

अध्याय V

कर प्रशासन एवं आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

(सेवा कर)

5.1 प्रस्तावना

किसी संरचना में आंतरिक नियंत्रण जोखिमों का समाधान करने तथा यह उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए परिकल्पित है कि सत्व के मिशन के अनुसरण में निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों⁴⁶ को प्राप्त किया जा रहा है:

- जवाबदेही दायित्व पूर्ण करना;
- लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति से संसाधनों की सुरक्षा।

स्व-निर्धारण के युग में, एक सुदृढ अनुपालन सत्यापन तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार कर बोर्ड ने दो कार्यों अर्थात् विवरणियों की संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास तथा नियमित रूप से कर जाल के अन्तर्गत लाई जा रही नई सेवाओं के साथ, उन व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश भी मौजूद है जो कर चुकाने के दायी थे परन्तु भुगतान टालते रहे, ताकि उन्हें कर जाल में लाया जा सके, जिसके फलस्वरूप कर आधार विस्तृत हो।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमें 744 लेखापरीक्षित रेंजों में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत की गई 18,000 एसटी-3 विवरणियों की जांच के दौरान लागू अधिनियम/नियम प्रावधानों अनुदेशों आदि के अनुपालन में कई कमियों का पता चला। लेखापरीक्षा संसृति, नमूना एवं निष्कर्षों के संबंध में इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.3 और 2.4 में चर्चा के अनुसार मंत्रालय को जारी 263 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से कराधार विस्तारण, विवरणियों की संवीक्षा, निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा,

46 इंटीसाई जीओवी 9100-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानकों के लिए दिशानिर्देश।

अपवंचन रोधी सेल, प्रतिदाय दावों का निपटान, एससीएन के अधिनर्णयन और क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली से संबंधित 168 डीएपी पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

उपरोक्त 168 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से हमने ₹ 206.54 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 104 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को अपनी आपत्तियां भेजी जिसमें 43 कमिश्नरियों के विभागीय अधिकारियों की चूक के बारे में बताया गया था। उपरोक्त में से मंत्रालय ने 51 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया, मंत्रालय ने 42 मामलों में राजस्व हानि तथा राजस्व वसूली हेतु उपचारात्मक कार्यवाही के मामलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। मंत्रालय ने 11 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार नहीं की (सितम्बर 2018)। इन मामलो को परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।

उपरोक्त 168 डीएपी में से हमने 36 कमिश्नरियों में निर्धारितियों द्वारा सेवा कर/ ब्याज के भुगतान न करने/ कम भुगतान करने तथा सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना/ उपयोग के आधार पर ₹ 52.00 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 63 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ भी जारी किये थे। उपरोक्त में से 55 मामलों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है तथा वसूली की गई/ वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है, आठ मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया परन्तु सुधारात्मक कार्यवाही अभी की जानी थी (सितम्बर 2018)। इन मामलों को परिशिष्ट-II में शामिल किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, विव18 में विभागीय यूनिटों की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 46 कमिश्नरियों तथा एडीजी (लेखापरीक्षा), मुम्बई में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, एससीएन का अधिनिर्णयन, प्रतिदाय आदि से संबंधित प्रणालीगत चूके भी देखी जिन्हें 109 टिप्पणियों वाले एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के माध्यम से मंत्रालय को भेजा गया जिनमें से कुछ मामलों, जहां हम संगणना कर सकते थे, में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की धन राशि ₹ 31.71 करोड़ थी।

आठ प्रमुख शीर्षकों के तहत आगामी पैराग्राफों में निम्नलिखित टिप्पणियों की चर्चा की गई है:

- कर आधार का विस्तार करना
- विवरणियों की संवीक्षा
- आन्तरिक लेखापरीक्षा - सूचना प्रस्तुत न करना
- आन्तरिक लेखापरीक्षा - चूकों का पता न लगना
- अपवंचन-रोधी सेल द्वारा जांच
- प्रतिदाय दावों का निपटान
- एससीएन जारी करना तथा अधिनिर्णयन
- अन्य चूके

5.3 कर आधार का विस्तार करना

कर आधार का विस्तार करना तथा कर अपवंचन का निवारण करना इष्टतम कर उगाही के लिए कर प्रशासन के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। अधिकतम कर प्रदाताओं द्वारा ऐच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास के साथ, अनैतिक निर्धारितियों को कर आधार में लाने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहित करने हेतु एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करना विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा, बोर्ड ने नवम्बर 2011 में अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक कमिश्नरी में संभावित निर्धारितियों को लाने के लिए कर आधार का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक विशेष सेल सृजित किया जाएगा।

5.3.1 थर्ड पार्टी डाटा का सत्यापन न करना

मुम्बई जोन तथा दो कमिश्नरियों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मुख्य कमिश्नर कार्यालय द्वारा कमिश्नरों को सीबीडीटी डाटा से सत्यापन हेतु आवंटित 19,168 निर्धारितियों में से विभाग ने 17,113 निर्धारितियों का सत्यापन नहीं किया। विभाग द्वारा विव13 से विव15 के दौरान सत्यापित 2,055 मामलों (11 प्रतिशत) में से 836 मामलों में ₹ 239.75 करोड़ की राजस्व देयता का पता चला। यह दर्शाता है कि आवंटित मामलों में अधिक राजस्व संभावना थी तथा तदनुसार इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। यद्यपि 89 प्रतिशत निर्धारितियों में सत्यापन नहीं किया गया जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका 5.1: थर्ड पार्टी डाटा का सत्यापन न करना

					(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	क्षेत्रीय संरचना	कुल मामले	सत्यापित न किए गए मामले	सत्यापित मामले	पता चला शुल्क अपवंचन
1.	मुम्बई जोन	14,568	12,738	1,830	239.11
2.	पुणे एसटी कमिश्नरी का डिविजन IV	3,013	2,842	171	उ. न.
3.	मदुरै कमिश्नरी का तूतीकोरिन डिविजन	1,587	1,533	54	0.64
कुल		19,168	17,113	2,055	239.75

इन मामलों में अधिक राजस्व की संभावना पर विचार करते हुए सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व का काफी निकास हो सकता है।

मंत्रालय ने दो कमिश्नरियों के उत्तर भेजे (अक्टूबर 2018)। भिवंडी कमिश्नरी (मुम्बई जोन के तहत) ने कहा कि कार्य प्रक्रियाधीन था तथा मुम्बई दक्षिण कमिश्नरी (मुम्बई जोन के तहत) ने कहा कि विव13 से सम्बंधित मामलों का सत्यापन किया गया था। इसके अलावा, विव14 तथा विव15 के लिए भी लम्बन के परिसमापन के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे थे।

उपरोक्त के अलावा, हमने सात अन्य मामलें देखे तथा ₹ 69.60 करोड़ के राजस्व सहित दो ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए (परिशिष्ट-1 के भाग ए में सम्मिलित) जैसाकि नीचे विस्तृत किया गया है:

5.3.2 स्थानीय निकाय का पंजीकरण न होना तथा इसके परिणामस्वरूप सेवा कर का भुगतान न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी के खण्ड (ए) के अनुसार, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक सत्वों को प्रदत्त समर्थन सेवाएं सेवा कर भुगतान की पात्र है। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 4 अनुबंधित करता है कि सेवा कर का भुगतान करने के उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस तिथि से 30 दिनों के अन्दर पंजीकृत होना चाहिए जिस पर सेवा कर प्रदत्त सेवा पर उद्ग्राह्य हो सकता है। बोर्ड की दिनांक 23 अगस्त 2007 की परिपत्र संख्या 97/8/2007-एसटी वर्णित करती है कि पंजीकरण के

लिए आवेदन करने वाले निर्धारितियों को पैन आधारित पंजीकरण दिया जाएगा। सेवा कर नियमावली का नियम 7 सभी पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा एसटी-3 विवरणियों की प्रस्तुति का वर्णन करता है। अधिनियम की धारा 73ए अनुबंधित करती है कि सेवा कर के प्रति संग्रहित किसी राशि को सरकारी खाते के अन्दर जमा किया जाएगा।

निर्धारिती, जो राज्य विधायिका द्वारा स्थापित प्रासांगिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत शहरी स्थानीय निकाय है, शहर के निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं के प्रशासन एवं इन्हें प्रदान करने के लिए स्थानीय स्व-सरकार है। इस प्रकार निर्धारिती वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी प्राधिकरण दोनों के लिए योग्य है।

संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत सौंपे गए कार्य करने के अतिरिक्त, निर्धारिती अपने क्षेत्राधिकार के तहत स्थित व्यावसायिक सत्वों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु इसके द्वारा धारित भवन तथा भूमि को पट्टे पर देने, सार्वजनिक पार्को में फिल्म की शूटिंग की स्वीकृत देने, टेलीकॉम कम्पनियों को केबल बिछाने के कार्य के लिए सड़क का उपयोग करने की स्वीकृति देना आदि जैसी विभिन्न कर योग्य सेवाएं प्रदान करता है। निर्धारिती ने विव15 तथा विव16 के लिए वित्तीय विवरणों में वर्तमान देयताओं के तहत सेवा कर के रूप में ₹ 10.24 करोड़ बताए जो यह संकेत देता है कि कथित राशि को निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों से सेवा कर के रूप में संग्रहित किया गया परन्तु इसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया। निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों के सत्यापन से यह पता चला कि निर्धारिती विव14 से विव16 के दौरान इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रति प्राप्त प्रतिफल पर उक्त संदर्भित ₹ 10.24 करोड़ सहित ₹ 90.07 करोड़ के सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

सत्यापन से यह भी पता चला कि निर्धारिती के कुछ जोनल कार्यालय/ डिविजन को सेवा कर प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत किया गया था तथा उनके पास अस्थाई पंजीकरण नम्बर थे जबकि अन्य डिविजन/ जोनल कार्यालय में पंजीकृत नहीं थे जो कर योग्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निर्धारिती के पंजीकृत डिविजन/ जोनल कार्यालयों ने अभी तक कोई एसटी-3 विवरणी फाइल नहीं की थी (अक्टूबर 2017)। निर्धारिती को जुलाई 2012 से प्रभावी

उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के कर योग्य होने के लिए 30 दिनों के अन्दर सेवा कर प्राधिकारियों से स्वयं के लिए पूर्ण अथवा इसके सभी डिविजनों के लिए पृथक रूप से पंजीकरण करवाना चाहिए। यद्यपि विभाग को यह पता था कि नकारात्मक सूची आधारित कराधान तंत्र द्वारा सरकारी/ स्थानीय निकाय द्वारा व्यावसायिक सत्वों को प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर आधार में लाया गया, इसने सेवा कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण निर्धारिती को पंजीकृत करवाने अथवा कुछ जोनों/डिविजनों द्वारा प्राप्त अस्थाई पंजीकरणों को पैन-आधारित पंजीकरणों में परिवर्तित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। विभाग ने भी निर्धारिती के पंजीकृत जोन कार्यालयों/ डिविजनों द्वारा नियमित रूप से विवरणी फाइल करने को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2017), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि अचल परिसम्पत्ति सेवाओं को किराए पर देने के अन्तर्गत ₹ 68.81 करोड़ के लिए एक एससीएन जारी किया गया था तथा आगे कहा गया कि स्थाई पंजीकरण नम्बर न लेने अथवा अपनी सभी डिविजनल इकाईयों का पंजीकरण न करने से संबंधित अन्य मामलों का अधिनिर्णयन कार्यवाहियों द्वारा ध्यान रखा जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर विभागीय अधिकारियों की विफलता पर मौन है।

5.3.3 प्रावधान की कमी

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 69 के अनुसार, सेवा कर के भुगतान हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति उस तिथि से 30 दिनों की अवधि में पंजीकरण हेतु एसटी-1 में आवेदन करेगा जिस पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 (बी) के अंतर्गत सेवा कर उद्ग्राह्य है। इस एसटी-1 फॉर्म में व्यवसाय के आरम्भ होने की तिथि तथा पूर्व-पंजीकरण अवधि के वित्तीय परिणामों को भरने का कोई कॉलम नहीं है। नियमावली इस सूचना को एकत्र करने के लिए कोई जांच बिन्दु भी प्रदान नहीं करती।

कोचीन कमिश्नरी में सेवा कर रेंज कोट्टायम की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2015) के दौरान राज्य वैट विभाग के साथ पंजीकृत आठ निर्माण कार्य ठेकेदारों के

सेवा कर पंजीकरण स्थिति के सत्यापन से पता चला कि उन्होंने अपनी वैट पंजीकरण तिथि से काफी बाद सेवा कर पंजीकरण लिया था। इसके बाद, लेखापरीक्षा ने वैट विवरणियों तथा राज्य वाणिज्यिक कर विभाग में उपलब्ध अभिलेखों से पाया कि छः कार्य ठेकेदारों की सेवा कर पंजीकरण की तिथि से पूर्व करयोग्य आय थी (जून 2011 से फरवरी 2014 के बीच पंजीकृत) जिसे उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप विव11 से विव13 तक की समयावधि के लिए ₹ 60.30 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ था।

सेवा कर पंजीकरण के लिए व्यवसाय के आरम्भ की तिथि का पता लगाने के लिए अधिनियम/ नियमावली में कोई जांच बिन्दु प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रथम एसटी-3 विवरणी के पंजीकरण/ फाइल करने के समय वित्तीय अभिलेखों के सत्यापन के लिए एक तंत्र के अभाव के फलस्वरूप इन निर्धारितियों द्वारा सेवा कर का भुगतान न करने का पता नहीं चला।

जब हमने इस विषय में बताया (सितम्बर 2015), तब मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2018) कि छः मामलों में से केवल चार में सेवा कर का कम भुगतान किया गया था। चार मामलों में से तीन में सुधारात्मक कार्यवाही की गई थी तथा चौथे मामले में जांच चल रही है।

सेवा प्रदाताओं को एसटी पंजीकरण देते समय पूर्व-पंजीकरण अवधि की आय की जांच करने के लिए प्रावधानों के अभाव पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

मंत्रालय इस पर विचार करे कि पंजीकरण देते समय विभाग द्वारा पूर्व अवधि की सेवा कर देयता की जांच करने के लिए व्यवसाय के आरम्भ से सम्बंधित ब्यौरे तथा इस अवधि का वित्तीय विवरण मांगा जाएं।

5.4 सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा

बोर्ड ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वयं निर्धारण शुरू किया था। स्वयं निर्धारण की शुरुआत के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के साथ सुदृढ़ अनुपालन जांच तंत्र का भी प्रावधान किया। निर्धारण कर अधिकारियों का मुख्य कार्य था जिन्हें कर भुगतान की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा करनी थी। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा हेतु

नियमपुस्तक 2009, के अनुसार रेंज अधिकारी द्वारा प्राप्त एवं संवीक्षा की गई विवरणियों की संख्या के संबंध में डिविजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप कमिश्नर के समक्ष मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। संवीक्षा दो चरणों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के स्वचालन (एसीईएस) द्वारा प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा में की गई थी जिन्हें एसीईएस या अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर हस्त्य रूप से किया गया था।

उक्त नियम पुस्तक के पैरा 1.2 बी के अनुसार, विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा सभी विवरणियों पर की जानी थी। उक्त नियम पुस्तक के पैरा 4.2ए के अनुसार केवल दो प्रतिशत विवरणियों की जांच विस्तृत संवीक्षा में किए जाने की आवश्यकता थी।

5.5 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

बोर्ड ने दिनांक 30 जून 2015 के परिपत्र द्वारा सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा हेतु संशोधित जांच सूची जारी की थी। परिपत्र के पैरा 2.1 के अनुसार, प्रणाली महानिदेशक एवं डाटा प्रबंधन (डीजीएसएंडडीएम) द्वारा एसीईएस में सम्मिलित जांच सूची के वैधीकरण के आधार पर, सभी विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस में ऑनलाइन की जानी थी और कुछ त्रुटियों वाली विवरणियों को समीक्षा एवं सुधार (आरएनसी)⁴⁷ हेतु चिन्हित किया गया था। इन्हें रेंज अधिकारियों द्वारा तदनुसार संशोधित किया जाना था। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी की समय पर प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, संगणित राशि की अंकगणितीय सटीकता तथा नॉन-फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना था। यदि एसीईएस प्रणालियों द्वारा कोई विसंगति पाई गई तो ऐसी सभी विवरणियों को आरएंडसी हेतु चिन्हित किया गया था। एसीईएस द्वारा आरएनसी हेतु चिन्हित इन विवरणियों को निर्धारिती से परामर्श के बाद वैधीकृत किया जाना तथा प्रणाली में पुनः दर्ज किया जाना चाहिए। विवरणियों तथा आरएनसी की प्राथमिक संवीक्षा विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर पूरी की जानी थी।

47 चिन्हित विवरणियों के संदर्भ में कमियों को दूर करने की प्रक्रिया को आरएनसी कहा जाता है।

हमारे सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद, मंत्रालय/ विभाग ने विव17 तथा विव18 के लिए सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा से सम्बंधित डाटा प्रदान नहीं किया। यद्यपि एसीईएस द्वारा विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा तथा आरएनसी हेतु विवरणियों का ऑनलाइन चिन्हांकन किया गया था तथापि, विभाग लेखापरीक्षा को यह सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2018) कि अभी मुख्य कमिश्नरियों को बोर्ड को यह सूचना प्रस्तुत करने को कहा गया था। स्व-निर्धारण तंत्र में, कर निर्धारण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विवरणियों की संवीक्षा विभाग के पास उपलब्ध एक उपकरण है। डाटा का अनुरक्षण न करना तथा डाटा प्रस्तुत न करना विभाग द्वारा अभिलेख के खराब संरक्षण की ओर संकेत करता है।

विव18 के दौरान विभागीय इकाईयों पर अभिलेखों की संवीक्षा की नमूना जांच के दौरान, हमने 20 कमिश्नरियों⁴⁸ में आरएनसी/ विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों को निष्पादन न करने/ मंजूर न करने के 45 मामलें देखें। इसके अलावा, हमने सात कमिश्नरियों⁴⁹ में विलम्ब से फाइल होने वाली अथवा फाइल न होने वाली 420 विवरणियां देखी जिस पर कमिश्नरियों द्वारा ₹ 56 लाख का विलम्ब शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, हमने ₹ 22.55 करोड़ के राजस्व सहित 26 ड्राफ्ट पैराग्राफ (परिशिष्ट-I के भाग बी में सम्मिलित) जारी किए जहां विभाग द्वारा प्राथमिक संवीक्षा की व्यवस्था, एसटी-3 विवरणी में प्रदर्शित कर देयता का कम भुगतान करने/ भुगतान न करने, कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने अथवा एसटी-3 विवरणी फाइल न करने/ विलम्ब से फाइल करने में विसंगतियों के कारण का पता नहीं लगाया गया। मंत्रालय ने 19 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा 13 मामलों में इन चूकों के लिए एसीईएस में सुविधा न होने/ कमी होने को जिम्मेदार ठहराया। चार मामलों में, मंत्रालय ने राजस्व हानि को स्वीकार किया परन्तु विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया जबकि तीन मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया।

48 अहमदाबाद एसटी, अहमदाबाद-I, आगरा, बेलापुर, बेंगलुरु-IV, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मेडचल, मुंबई पूर्व, मुंबई पश्चिम, नागपुर-I, नवी मुंबई, पुणे एसटी, राजकोट, सलेम, तिरुपति तथा विशाखापट्टनम

49 बेंगलुरु-I, बेंगलुरु-IV, हैदराबाद, मैंगलोर, मेरठ, सिकन्दराबाद और विशाखापट्टनम।

कुछ निदर्शी मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

5.5.1 एसीईएस द्वारा आरएनसी के लिए चिन्हित एसटी-3 विवरणियों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

5.5.1.1 बेंगलुरु-IV कमिश्नरी में यह देखा गया कि एसीईएस ने मार्च 2016 के माह के लिए अन्तः शेष तथा अप्रैल 2016 के माह हेतु आदि शेष के बीच सेनवेट खाते में ₹ 63.82 लाख की भिन्नता की वजह से आरएनसी हेतु निर्धारिती द्वारा फाइल एसटी-3 विवरणियों को चिन्हित किया। भिन्नता इसलिए हुई क्योंकि निर्धारिती ने संशोधित एसटी-3 विवरणी की बजाय सितम्बर 2015 से मार्च 2016 की समयावधि हेतु फाइल की गई मूल एसटी-3 विवरणियों के अनुसार अन्तः शेष को अपनाया। आरएनसी न करने की वजह से ₹ 63.82 लाख के अधिक सेनवेट क्रेडिट की वसूली नहीं की जा सकी।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2017) तब मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018)।

5.5.1.2 सलेम कमिश्नरी में, एक निर्धारिती ने विव15 से विव17 के लिए प्रस्तुत विवरणी में ₹ 3.58 करोड़ का भुगतान योग्य सेवा कर घोषित किया गया था, जबकि विवरणी में दर्शाए गए कर के भुगतान का कोई विवरण नहीं था। लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि 31 दिसम्बर 2017 को निर्धारिती ने निर्धारित अवधि के बाद ₹ 2.52 करोड़ कर का भुगतान किया था लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया था जो ₹ 34.07 लाख गिना गया। इसके अलावा ₹ 17.46 लाख के ब्याज के साथ ₹ 90.47 लाख की बकाया राशि भी बिना भुगतान के रही थी (लेखापरीक्षा की तिथियों तक)।

यद्यपि निर्धारिती ने लगातार भुगतान में चूक की और एसीईएस ने आरएनसी के लिए प्रस्तुत एसटी विवरणी को भी चिन्हित किया था, क्षेत्र अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक बकाया कर एवं ब्याज असंग्रहित रहा।

जब हमने यह इंगित किया (जनवरी 2018), मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि विभाग पहले ही इस मुद्दे से अवगत था और बकाया के भुगतान के लिए निर्धारिती को

जनवरी 2016 को एक पत्र जारी किया गया था और निर्धारिती ने बकाया का आंशिक भुगतान किया और पूर्ण भुगतान के लिए मई 2016 तक का समय मांगा। वर्तमान में निर्धारिती ने ₹ 5 लाख के ब्याज के साथ ₹ 1.10 करोड़ की आपत्तिकृत राशि का भुगतान किया था।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती 2014 से नियमित चूककर्ता था जो प्रत्येक वर्ष सेवा कर का कम भुगतान करता था। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा पूर्ण भुगतान के लिए मांगी गई समय सीमा भी मई 2016 तक थी लेकिन इसके बाद भी विभाग द्वारा कोई प्रतिरोधी कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, फरवरी 2018 में धारा 87 के तहत वसूली के लिए एक नोटिस (किसी तृतीय पक्ष-सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया) जारी किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने निर्धारिती द्वारा सेवा कर के बार-बार कम भुगतान पर शास्ति उगाही के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

5.5.1.3 बेंगलुरु एसटी-II कमिश्नरी में, निर्धारिती एक सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत एसटी-3 विवरणी के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने सेनवेट खाते में मार्च 2016 के महीने के लिए ₹ 18.85 करोड़ के अंत शेष के प्रति अप्रैल 2016 के महीने के लिए ₹ 19.96 करोड़ का आरंभिक शेष घोषित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया गया। हालांकि एसीईएस ने इस त्रुटि को दर्शाते हुए आरएनसी के लिए एसटी-3 विवरणी को चिन्हित किया, फिर भी विभाग ने अनियमित क्रेडिट को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2018) कि निर्धारिती ने लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर अप्रैल 2017 में सेनवेट खाते में ₹ 1.11 करोड़ की वापसी हुई। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि प्री-जीएसटी काल में एसीईएस कार्यपद्धति में कुछ खामियां थीं। आरएनसी के लिए चिन्हित विवरणी का भारी लंबन मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है। बोर्ड द्वारा भारी लंबन का समाधान करने के लिए आरएनसी के लिए चिन्हित विवरणी के निपटारे में तेजी लाने के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को डी.ओ (अप्रैल 2018) पत्र जारी किया गया।

5.5.2 नॉन/स्टॉप फाइलर एवं सेवा कर का भुगतान न करने वालों का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 7 में बताया गया है कि सेवा कर चुकाने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को आधा वर्ष समाप्त होने के 25 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फार्म एसटी-3 अर्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी है।

एसटी-1 कमिश्नरी बेंगलुरु में एक निर्धारिती विभिन्न ग्राहकों को कार्यक्रम प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है और उनसे सेवा कर संग्रह करता है। रेंज कार्यालय में सेवा कर भुगतान विवरणों का सत्यापन करने पर पता चला है कि निर्धारिती ने विव13 के बाद की अवधि के लिए न तो सेवा कर का भुगतान किया है न ही एसटी-3 विवरणी दायर की है। लेखापरीक्षा ने विव13 से विव15 तक की अवधि के लिए निर्धारिती का वित्तीय विवरण प्राप्त किया (फरवरी 2017) जिसमें पता चला कि निर्धारिती उक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर ₹ 1.04 करोड़ के सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। कमिश्नरी ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72 के अनुसार इस मामले में सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2017), मंत्रालय ने कहा (जून 2018) कि ₹ 1.40 करोड़ के सेवा कर की मांग करने वाला एक एससीएन जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि कमिश्नरियों में पंजीकृत निर्धारितियों की बड़ी संख्या से संवीक्षा के लिए प्रत्येक विवरणी को लेना मुश्किल हो जाता है। तथापि, जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ तदनुसार जीएसटी पोर्टल को चूककर्ता/नॉन-फाइलरों के विवरण पकड़ने के लिए संशोधित किया जा रहा था।

5.6 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

दिनांक 30 जून 2015 के परिपत्र के अनुसार बोर्ड द्वारा सेवा कर विवरणी की विस्तृत संवीक्षा के लिए संशोधित जांच सूची जारी की गई थी। परिपत्र के अनुसार विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य निर्धारिती द्वारा किए गए निर्धारण की सत्यता को सुनिश्चित करना है। इसमें सेवा की कर देयता की जांच, सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2006 के साथ पठित वित्त

अधिनियम, 1994 कि धारा 67 के संदर्भ में कर योग्य सेवा के मूल्य की शुद्धता, है और खाते की स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर कर की प्रभावी दर शामिल है छूट अधिसूचना, कमी, या निर्यात, यदि कोई हो, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 आदि के सन्दर्भ में इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का उचित लाभ/उपयोग सुनिश्चित करना है। उक्त परिपत्र के पैरा 6.3 के अनुसार जोनल मुख्य आयुक्तों को अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सेवा कर महानिदेशालय को तब तक प्रस्तुत करना था जब तक कि आयुक्त को सीबीआईसी के एमआईएम में डेटा अपलोड करने में सक्षम नहीं किया गया।

हमारे सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद मंत्रालय/विभाग ने विव16 से विव18 के लिए विवरणियों की संवीक्षा से संबंधित डाटा प्रदान नहीं किया। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (मई 2018) कि सभी मुख्य आयुक्तों से बोर्ड को यह सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। स्व-निर्धारण व्यवस्था में, विवरणी की संवीक्षा कर निर्धारण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों में से एक है। डेटा के अननुरक्षण एवं अप्रस्तुतिकरण विभाग द्वारा रिकार्ड के रखरखाव में कमी की ओर इशारा करता है।

विव18 के दौरान विभागीय इकाईयों में विस्तृत संवीक्षा से संबंधित रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, हमने छह कमिशनरियों⁵⁰ में विस्तृत संवीक्षा के गैर-संचालन के छः उदाहरणों को देखा। इसके अलावा, हमने सात कमिशनरियों⁵¹ में विस्तृत संवीक्षा के लिए चिन्हित 704 विवरणियों के गैर-निपटान के 16 उदाहरणों को देखा।

उपर्युक्त के अलावा, हमने 10 मसौदे पैराग्राफ भी जारी (परिशिष्ट-I की धारा बी में शामिल) किए जिनमें ₹ 6.88 करोड़ रुपये का राजस्व शामिल था, जहां विवरणी की गैर-संचालन/ अप्रभावी विस्तृत संवीक्षा, कर का कम/ गैर-भुगतान, कर के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया आदि का विभाग को पता नहीं चला था। पांच मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीखा आपत्ति को स्वीकार किया, चार मामलों में मंत्रालय ने राजस्व हानि को

50 आगरा, दिल्ली एसटी-I, मुंबई पश्चिम, नागपुर-I, नवी मुंबई और सलेम।

51 बेलापुर, दिल्ली एसटी-II, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मुंबई पूर्व, पुणे एसटी और तिरुपति।

स्वीकार किया लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया और एक मामले में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया।

उदाहरणार्थ कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

5.6.1 विवरणी की विस्तृत संवीक्षा में सेवा कर की गैर-उगाही का पता नहीं लगना

दिनांक 20 जून 2012 (1 जुलाई 2012 से प्रभावी) की अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी के क्रम संख्या 10 के अनुसार, जब सेवा प्रदाता गैर कर योग्य क्षेत्र में है और सेवा प्राप्त करने वाला कर योग्य क्षेत्र में है, तो सेवा कर सेवा प्राप्त करने वाले को देना है।

कच्छ कमिश्नरी में एक निर्धारिती को विभाग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा के लिए चुना गया था। प्रासंगिक दस्तावेजों की संवीक्षा पर हमने देखा कि निर्धारिती ने विव14 एवं विव15 की अवधि के दौरान “रॉयल्टी भुगतान” (गैर-कर योग्य क्षेत्र से सेवा प्राप्त हुई) की ओर ₹ 1.84 करोड़ डेबिट कर दिया, जिस पर ₹ 22.71 लाख का कुल सेवा कर देय था लेकिन निर्धारिती द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारिती द्वारा रेंज को प्रस्तुत किए रिकॉर्डों में यह सूचना उपलब्ध थी लेकिन इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी रेंज अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2016), मंत्रालय ने (जून 2018) लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और सूचित किया कि विभाग ने ₹ 8.04 लाख के ब्याज के साथ ₹ 22.71 लाख वसूल किए थे। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि ईकाई का चयन केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों/रिकॉर्डों की विस्तृत मैनुअल संवीक्षा के लिए किया गया था और उक्त को रेंज कार्यालय द्वारा (मार्च 2016) आयोजित किया गया था। इसलिए, क्षेत्राधिकारी रेंज अधिकारी के तरफ से कोई विफलता/चूक नहीं हुई थी।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रेंज अधिकारी को सेवा कर के संबंध में राजस्व की रक्षा के लिए बुद्धिमानी से उपलब्ध जानकारी की जांच

करनी चाहिए और केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्देश्य के लिए यांत्रिक रूप से नहीं।

5.6.2 सेवा कर के कम भुगतान का पता नहीं लगा क्योंकि विस्तृत संवीक्षा आयोजित नहीं हुई थी।

5.6.2.1 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडओ) प्रदान करता है कि तिपहिया, स्कूटर, आटो रिक्शा के अलावा किसी भी मोटर वाहन की मरम्मत, पुननिर्माण, बहाली या सजावट या किसी अन्य समान सेवाओं के लिए किसी भी सेवा के संबंध में प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा या प्रदान की जानी है और मोटर वाहन का मतलब माल ढोने वाली गाड़ी, एक कर योग्य सेवा है।

पटना-II कमिश्नरी में हाजीपुर रेंज के एक निर्धारिती के वार्षिक वित्तीय विवरण, फार्म 26 एएस और एसटी-3 विवरणियों की लेखापरीक्षा जांच (अक्टूबर 2016) करने पर पता चला कि निर्धारिती ने विव14 से विव16 के दौरान ₹ 1.90 करोड़ की राशि प्राप्त की, जिसे विभिन्न स्रोतों जैसे हीरो मोटोकॉर्प (निःशुल्क सेवा प्रकार के लिए), इंडसइंड बैंक लिमिटेड (व्यावसायिक एवं अन्य के लिए), आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस (बीमा कमीशन के लिए), और अन्यो से प्राप्त हुई थी। निर्धारिती ने विव14 से विव16 के दौरान एसटी-3 विवरणियों में केवल ₹ 80.17 लाख की राशि दर्शाई थी। इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान उस पर लागू ब्याज के साथ ₹ 14.53 लाख का सेवा कर और उपकर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2016), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली और कहा (जुलाई 2018) कि विव14 से विव17 तक की अवधि को कवर करने के लिए निर्धारिती को ₹ 39.17 लाख (₹ 14.53 लाख की आपत्तिकृत राशि सहित) का एससीएन जारी (फरवरी 2018) किया गया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणी दायर करने की अवधि के दौरान वास्तविक मूल्य को छुपाया। विवरणियों की संवीक्षा के आधार पर सेवा कर के गैर-भुगतान का पता नहीं लगाया जा सकता है।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि दिनांक 30 जून 2015 के परिपत्र के अनुलग्नक III के अनुसार, वित्तीय रिकॉर्डों अर्थात लाभ एवं हानि खाता, प्रासंगिक आईटीआर आदि में दिखाए गए राजस्व को एसटी-3 विवरणियों में दर्शाए गए राजस्व के साथ सत्यापित करना चाहिए, इसलिए, यदि विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा की जाती तो कमी का पता चल जाता।

5.6.2.2 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2), प्रदान करता है कि कर चुकाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारित तरीके से भुगतान करेगा। सेवा कर एक निर्धारिती (एक व्यक्ति, मालिकाना फर्म या साझेदारी फार्म के अलावा) द्वारा देय है जिस महीने में कर योग्य सेवाओं (ई-भुगतान के मामले में 6वीं) का मूल्य भुगतान प्राप्त हुआ है उससे अगले महीने की 5वीं (केवल मार्च को छोड़कर) [सेवा कर नियमावली के नियम 6(1)]। यदि निर्धारिती एक व्यक्ति या मालिकाना फर्म या साझेदारी फर्म थे, तो मार्च के अलावा तिमाही की समाप्ति के 5 दिनों में (ई-भुगतान के 6 दिनों में) तिमाही आधार पर कर देय था।

जयपुर कमिश्नरी में एक निर्धारिती, ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2015 की (अप्रैल 2012 से मार्च 2016 लेखापरीक्षा अवधि) अवधि के लिए 1 से 151 दिनों की देरी के साथ सेवा कर का भुगतान किया था, हालांकि उस पर लागू ब्याज का भुगतान/ कम भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सेवा कर के देरी से भुगतान पर ₹ 27.35 लाख ब्याज का गैर/कम भुगतान हुआ।

एसीईएस ने आरएनसी के लिए निर्धारिती के विवरणी को चिन्हित नहीं किया था।, इसके अलावा, विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा अवलोकन में शामिल अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी क्योंकि रेंज अधिकारी द्वारा विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा की गई थी, लेकिन सेवा कर के देरी से भुगतान को विस्तृत संवीक्षा में नहीं बताया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2016), मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि निर्धारिती ने ₹ 27.35 लाख का ब्याज जमा करवाया था। इसके अलावा,

मंत्रालय ने कहा कि उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

मंत्रालय का जवाब विरोधाभासी है क्योंकि कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अपने जवाब में कहा (अगस्त 2018) कि इकाई को आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया था क्योंकि रेंज द्वारा विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा आयोजित की गई थी।

5.6.2.3 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(7) प्रदान करता है कि आगत सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट को अनुमति दी जाएगी, जिस दिन या उसके बाद चालान, बिल या जैसा भी मामला हो, चालान प्राप्त किया गया था, बशर्ते कि निवेश सेवा के संबंध में जहां सेवा कर का पूरा या हिस्सा सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान हेतु दायी था, प्राप्तकर्ता द्वारा देय सेवा कर का क्रेडिट इस तरह के सेवा कर का भुगतान करने के बाद अनुमति दी जाएगी।

आगरा कमिश्नरी में सेवा कर रेंज III की लेखापरीक्षा के दौरान एक निर्धारिती के एसटी-3 विवरणियों एवं जीएआर-7 चालान की लेखापरीक्षा जांच (मई 2017), विव15 से सितम्बर 2017 की अवधि हेतु पता चला कि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(7) के प्रावधान के विपरीत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत सेवा कर का भुगतान करने से पहले ₹ 1.29 करोड़ के निवेश के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2017), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की (अगस्त 2018) और सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 1.29 करोड़ की अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट को वापस कर दिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि एसटी-3 विवरणियों की गैर संवीक्षा का मुख्य कारण विभागीय संरचना का पुनर्गठन था।

5.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों की दृष्टि में निर्धारिती द्वारा अनुपालन के स्तर को मापने में आंतरिक लेखापरीक्षा सहायता करता है। बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

लेखापरीक्षा नियमावली 2015 (सीईएसटीएमएम 2015) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की गई थी।

अक्टूबर 2014 में विभाग के पुनर्गठन के बाद, लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों को पुनः तीन श्रेणियों में अर्थात् बड़ी, मध्यम और छोटी में संगठित किया गया है। डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए केन्द्रीकृत जोखिम आकलन पर इकाईयां आधारित है। लेखापरीक्षा कमिशनरी में उपलब्ध श्रमशक्ति को बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाईयों के बीच 40:25:15 के अनुपात में आबंटित किया है और नियोजन, समन्वय और अनुवर्तीकरण के लिए शेष 20 प्रतिशत श्रमशक्ति का उपयोग किया जाना है।

प्रक्रिया के अनुसार, लेखापरीक्षा वर्ष के लिए लेखापरीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से इकाईयों की एक सूची डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा कमिशनरियों को भेजी जाएगी। लेखापरीक्षा कमिशनरी स्थानीय जोखिम धारणाओं और मानकों के संदर्भ में डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा अग्रेषित सूची की समीक्षा करने के बाद किसी विशेष वर्ष में लेखापरीक्षित करने के लिए इकाईयों का चयन कर सकते हैं। लेखापरीक्षा कमिशनरी भी कम जोखिम वाले स्कोर के साथ निर्धारिती का चयन कर सकता है लेकिन इस तरह के चयन के कारणों को इंगित किया जाना चाहिए जो डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा फीडबैक के रूप में उपयोग किया जाएगा।

आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित सूचना मासिक निष्पादन रिपोर्टों (एमपीआर) में निहित है और डाटा प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम) की वेबसाइट में रखी जाती है। एमपीआर को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अपलोड किया जाता है और इसमें लेखापरीक्षा, राजस्व, अधिनिर्णयन, वापसियों, बकायों, अपीलों आदि की जानकारी शामिल होती है।

हमारे सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद, मंत्रालय/विभाग ने विव18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए देय इकाईयों से संबंधित डाटा प्रदान नहीं किया।

जब हमने इस सूचना के प्रस्तुत नहीं करने के कारणों के बारे में पूछा तो, डीजी (लेखापरीक्षा) ने कहा (सितम्बर 2018) कि इकाईयों के आंकड़े हर महीने बदलते हैं क्योंकि लेखापरीक्षा कमिशनरियों को उपलब्ध श्रमशक्ति के अनुसार

लेखापरीक्षा की सूची को बदलना होता है और पिछली छूटी हुई इकाईयां लेखापरीक्षा से बच जाती है।

डीजी (लेखापरीक्षा) आगे कहा कि डीडीएम से अनुरोध किया गया कि चयनित अवधि के लिए जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम तंत्र की सुविधा प्रदान करें और वे इस पर काम कर रहे हैं।

इस डेटा को प्रस्तुत करने में विभाग की विफलता विभाग की डाटा रखने की बड़ी कमियों को उजागर करती है।

विभाग द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा का परिणाम तालिका 5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में कुल पहचान (₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	लेखापरीक्षित कुल इकाई	कम उगाही का पता चला	कुल वसूली	कुल पहचान के % के रूप में वसूली
विव18	बड़ी इकाईयों	2,521	2,441	581	23.80
	मध्य इकाईयां	4,473	994	319	32.09
	छोटी इकाईयां	9,173	643	302	46.97
	कुल	16,167	4,078	1,202	29.48

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े।

यह देखा गया है बड़ी इकाईयों में कम उगाही की पहचान और वसूली गई राशि अन्य इकाईयों की तुलना में काफी अधिक है लेकिन पता लगाई गई राशि की तुलना में वसूल की गई राशि छोटी और मध्यम इकाईयों में अधिक है। विभाग को बड़ी इकाईयों में कम वसूली के कारणों की जांच करनी चाहिए।

विव18 के दौरान विभागीय इकाईयों में रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, हमने आठ कमिशनरियों⁵² एवं अपर महानिदेशक लेखापरीक्षा, मुम्बई के कार्यालय में लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाईयों के गैर-कवरेज, निर्धारिती की मास्टर फाइल तैयार न करना, गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट जारी करने में देरी (क्यूएआर) अनुवर्ती कार्यवाही में देरी आदि के 16 उदाहरणों को देखा। इन मामलों में ₹ 22.23 करोड़ का राजस्व शामिल था।

52 हैदराबाद लेखापरीक्षा, मुम्बई लेखापरीक्षा-I, पुणे एसटी लेखापरीक्षा, लखनऊ लेखापरीक्षा, चेन्नई लेखापरीक्षा-I, कोलकाता लेखापरीक्षा-I, कोलकाता लेखापरीक्षा-II और मुम्बई पश्चिम

उपर्युक्त के अलावा, हमने ₹ 94.17 करोड़ के राजस्व को शामिल करते हुए 51 मसौदा पैराग्राफों (परिशिष्ट-I की धारा सी में समाहित) को जारी किया, जहां आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण कर का कम/गैर-भुगतान, कर के देरी से भुगतान पर ब्याज का गैर-भुगतान आदि को नहीं पकड़ा गया था। 19 मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की, 26 मामलों में मंत्रालय ने राजस्व हानि को स्वीकार किया लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया और छह मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

5.7.1 आंतरिक लेखापरीक्षा में कवर नहीं किया

हमने विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित रिकॉर्डों की संवीक्षा के दौरान देखा, पांच कमिश्नरियों⁵³ में विव16, विव17 एवं विव18 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए नियोजित 4,540 इकाईयों में से, 3,641 इकाईयों (80 प्रतिशत) को विभाग द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी।

जब हमने यह इंगित किया (मई 2017), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर ध्यान दिया गया था और लेखापरीक्षा अधिकारियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाया गया था।

5.7.2 लेखापरीक्षा की विफलता लेखापरीक्षा नियोजन और निगरानी के उचित कार्यान्वयन की कमी के कारण भी हो सकती है। पुणे एसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरी के रिकॉर्डों की जांच पर यह देखा गया था (मई 2017) कि बड़ी एवं मध्यम श्रेणी इकाईयों की लेखापरीक्षा के संबंध में, विभाग ने लेखापरीक्षा के लिए 18 दिनों से 9 महीनों लिए जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल (सीईएसटीएएम), 2015 के पैरा सं. 4.3.1 का उल्लंघन है जो बड़ी, मध्यम और छोटी श्रेणियों के अधीन लेखापरीक्षा इकाईयों के लिए क्रमशः छह से आठ, चार से छह और दो से चार कार्य दिवसों का समय प्रदान किया गया था।

53 चेन्नई लेखापरीक्षा-I, कोयम्बटूर लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा-I, कोलकाता लेखापरीक्षा-II और पुणे एसटी लेखापरीक्षा

जब हमने यह इंगित किया (मई 2017), पुणे एसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरी ने कहा (मई 2018) कि तय समय की तुलना में अधिक दिन लिए क्योंकि निर्धारिती ने समय पर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लिए गए दिनों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी जो, विभाग की कार्यात्मकता में कमजोरी की ओर संकेत करती है।

5.7.3 हमने रिकॉर्डों के नमूना जांच के दौरान, चार कमिश्नरियों में, एक डिविजन और डीजी (लेखापरीक्षा) मुम्बई में यह देखा कि

- एडीजी (डीजी लेखापरीक्षा) मुम्बई में गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा रिपोर्टों को उच्च प्राधिकारियों को 12 दिनों से 131 दिनों तक की देरी के साथ भेजा गया था।
- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी में 24 मामलों में लेखापरीक्षा के लिए कोई मासिक स्कोरिंग नहीं की गई थी।
- दो कमिश्नरियों में निर्धारिती की मास्टर फाइल तैयार/अद्यतन नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मानकों को लागू किए बिना लेखापरीक्षा के लिए निर्धारितियों का चयन किया गया।
- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी में, 13 मामलों में लेखापरीक्षा लंबित थी भले ही सूचनाएं एक वर्ष पहले ही निर्धारितियों को भेजी गई थी। इनमें से, दो मामलों में लेखापरीक्षा योजना को अनुमोदित किया गया था और पांच मामलों में लेखापरीक्षा समूहों द्वारा दस्तावेज पहले ही प्राप्त हो गए थे।
- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी के 13 मामलों में और लखनऊ लेखापरीक्षा कमिश्नरी के 8 मामलों में निगरानी समिति बैठक (एमसीएम) के 15 दिनों के बाद अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एफएआर) को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। तीन कमिश्नरियों में एफएआर और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट (डीएआर) को जारी करने में 14 दिनों से 148 दिनों तक की देरी हुई थी।
- लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी मुम्बई की एफएआर की संवीक्षा पर, यह देखा गया था कि 52 मामलों में केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर लेखापरीक्षा

मैनुअल के क्रमशः पैरा 4.6.1 और 7.6.2 के अनुसार अपेक्षित सत्यापन रिपोर्टें और निष्पादन रिपोर्टें नहीं थीं और इस प्रकार, वहां लेखापरीक्षा समूहों के निष्पादन का मूल्यांकन के लिए अपेक्षित जानकारी का प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की कोई निगरानी नहीं थी।

- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी में यह देखा गया था कि एमसीएम में स्वीकृति और आंतरिक लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद सीईएसटीएएम में निर्धारित आगे की कार्यवाही के लिए ₹ 22.33 करोड़ राजस्व के 45 पैरा विलंबित है। 28 मामलों में विलम्ब दो से छह महीने के बीच था और 17 मामलों में छह महीने में अधिक की देरी हुई थी।
- मुम्बई पश्चिम कमिश्नरी के मंडल-IV में, हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा में पता चला कि एक निर्धारिती ने अपनी संबंधित कंपनी को व्यापार सपोर्ट सेवा प्रदान की थी और ₹ 4.92 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। इस अवलोकन को गलत बताते हुए छोड़ा गया कि वहां कोई सेवा प्रदाता प्राप्तकर्ता का संबंध नहीं था यद्यपि दोनों कानूनी रूप से अलग-अलग संस्थाएँ थीं। यह बताता है कि कोई उचित अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी इस तथ्य के बावजूद कि एमसीएम में आपत्ति स्वीकार की गई थी और एससीएन जारी किया गया था।
- अपर महानिदेशक (एडीजी लेखापरीक्षा) मुम्बई क्षेत्र की क्यूएआर फाइलों की संवीक्षा से पता लगा कि कमिश्नरी की राजस्व प्रोफाइल उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा अवलोकनों से यह प्रतीत होता है कि सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल 2011 और सीईएसटीएएम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का पालन विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा नहीं किया जा रहा था। चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा विभिन्न प्रावधानों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के मुख्य कार्यों में से एक है, इसकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (अक्टूबर 2018) कि संबंधित कमिश्नरियों को भविष्य में आवश्यक कदम उठाने के लिए पहले ही सूचित किया जा चुका था।

5.7.4 आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित रिकॉर्डों को रखने का अप्रभावी तंत्र

सीईएसटीएएम 2015 के पैरा सं. 8.2.2 के अनुसार, लेखापरीक्षा कमिश्नरी द्वारा निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें कार्यकारी आयुक्त या उसके प्रतिनिधि को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेखापरीक्षा आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय, सभी बकाया की वसूली के बाद लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के संबंध में या अस्थिर लेखापरीक्षा आपत्तियों को छोड़ना, ही अंतिम होगा। अनुमोदित लेखापरीक्षा आपत्तियां, जिनमें कारण बताओं नोटिस जारी करने का प्रस्ताव शामिल है को एमसीएम की कार्यवृत्तों के रूप में कार्यकारी आयुक्त को बताया जाना चाहिए, जो एमसीएम के कार्यवृत्तों की प्राप्ति के 15 दिनों में उनकी सहमति/ असमति व्यक्त करते हुए इन आपत्तियों का जवाब देंगे।

उपरोक्त को देखते हुए कार्यकारी कमिश्नरियों, को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

हमने देखा कि 21 निर्धारित इकाईयों के मामले में, कार्यकारी कमिश्नरी जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका कि क्या निर्धारितियों की विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी या नहीं। इनमें से, 20 मामलों में मंत्रालय ने शामिल राजस्व के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया लेकिन आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित जानकारी के संबंध में, यह कहा गया कि इसे लेखापरीक्षा कमिश्नरियों से एकत्र किया जा सकता है और एक मामले में मंत्रालय का जवाब इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित जानकारी पर मौन था।

एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.7.4.1 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 (3) के अनुसार कर योग्य सेवा के लिए वसूली गई सकल राशि में ऐसी सेवाओं के प्रावधानों के दौरान या उसके बाद कर योग्य सेवा की ओर प्राप्त कोई भी राशि शामिल होगी। इसके अलावा, कराधान का बिन्दु नियमावली, 2011 के नियम 3(बी) के अनुसार कर योग्य सेवा के लिए भुगतान की प्राप्ति या भविष्य में कर योग्य सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान करने के संबंध में भुगतानों का प्राप्ति की तारीख कराधान के बिन्दु है। अधिनियम की धारा 75 के संबंध में, सेवा कर के भुगतान में देरी, इसके एक हिस्से सहित, साधारण ब्याज आकर्षित करती है।

जीएसटी कमिश्नरी हैदराबाद में (पूर्व हैदराबाद ॥ कमिश्नरी), एक निर्धारिती ने विव15 एवं विव16 के दौरान विभिन्न फर्मों से आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विंड पॉवर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कुल स्वीकृत फीस की 25 प्रतिशत की दर से ₹ 6.01 करोड़ की अग्रिम राशि की प्राप्ति की। हालांकि, निर्धारिती ने ऐसी अग्रिम प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था जो ऊपर वर्णित नियमों का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 74.24 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था जिसे ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने यह इंगित किया (मार्च 2017), मंत्रालय ने (जुलाई 2018) में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और सूचित किया कि निर्धारिती ने सितम्बर 2017 में ₹ 42.02 लाख के ब्याज के साथ ₹ 74.24 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि सीएजी लेखापरीक्षा संबंधित लेखापरीक्षा कमिश्नरी से आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण मांग सकती है।

सीईएसटीएएम 2015 में प्रदान किए गये तंत्र के अनुसार लेखापरीक्षा कमिश्नरी के द्वारा कार्यकारी कमिश्नरी के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम के संबंध में जानकारी साझा करने के संबंध में उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों के संदर्भ में आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी कमिश्नरी की अक्षमता

विभाग द्वारा महत्वपूर्ण डाटा के अनुचित रखरखाव और निगरानी तंत्र की अप्रभावशीलता दिखाती है।

5.7.5 आंतरिक लेखापरीक्षा दलों (आईएपी) द्वारा चूकों की पहचान न कर पाना

आईएपी लेखापरीक्षा योजना के अनुसार निर्धारिती इकाईयों की लेखापरीक्षा करते हैं और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका, 2011 जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका, 2015 (सीईएसटीएएम 2015) के साथ प्रतिस्थापित किया गया, में उल्लेखित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आईएपी द्वारा लेखापरीक्षित निर्धारितियों के नमूने की लेखापरीक्षा करके आईएपी द्वारा की गई लेखापरीक्षा की गुणवत्ता की जांच की। ₹ 86.20 करोड़ के राजस्व से जुड़े 30 मामलों में से जहां हमने निर्धारितियों द्वारा गैर-अनुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाने में आईएपी की चूक की और इशारा किया, मंत्रालय ने 19 मामलों को स्वीकार कर लिया। शेष 11 मामलों में से, मंत्रालय ने पांच मामलों में राजस्व हानि को स्वीकार किया, लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया और छह मामलों में, लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया।

कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं:

5.7.5.1 सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी के अनुसार, सभी सेवाओं के मूल्य पर चौदह प्रतिशत की दर से कर (इसके बाद सेवा कर रूप में संदर्भित किया) लगाया जाएगा, नकारात्मक सूची निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा, प्रदान किए गए या एक व्यक्ति द्वारा कर योग्य क्षेत्र के प्रदान किए जाने के लिए सहमत होकर दूसरे से और जैसा निर्धारित है उस तरीके से एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(ई) के अनुसार “किसी कार्य से बचने के लिए दायित्व से सहमत होना या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करना, या कार्य करना” एक घोषित सेवा है।

मुम्बई दक्षिण कमिश्नरी में एक निर्धारिती, अपनी मूल कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों को खरीदने वाले ग्राहकों को वित्त प्रदान करने का व्यापार कर रहा है। इस व्यापारिक गतिविधि के संबंध में, निर्धारिती ने अपनी मूल कंपनी के साथ समझौता किया था। इसके द्वारा निर्मित वाहनों को खरीदने के लिए ग्राहकों को निर्बाध वित्त पोषण के लिए, मूल कंपनी उन हानियों की क्षतिपूर्ति करने पर सहमत हो गई थी जो अपने ग्राहकों द्वारा निर्धारिती और अन्य खर्चों के ऋण के पुनर्भुगतान की चूक से उत्पन्न हो सकती थी। चूंकि निर्धारिती सीधे मूल कंपनी को कोई ऋण प्रदान नहीं करता था, अतः इससे प्राप्त क्षतिपूर्ति को ब्याज आय के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसके बजाए, यह मूल कंपनी के साथ समझौते के अनुसार प्रदान की गई सेवा से संबंधित अपनी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित सीधे तौर पर व्यवसायिक आय थी। विव16 एवं विव17 के दौरान, निर्धारिती को लाभ और हानि खाते में दिखाए गए अनुसार “गारंटी व्यापार निर्माता पर ब्याज हानि की ओर क्षतिपूर्ति” के रूप में क्रमशः ₹ 295.81 करोड़ एवं ₹ 148.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इस राशि पर निर्धारिती द्वारा कोई सेवाकर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 62.91 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इंगित किया (अक्टूबर 2017), तो मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि निर्धारिती द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी और यह लेन-देन केवल एक मौद्रिक लेन-देन है। प्रदत्त की गई सेवा और लेनदेन में प्राप्त प्रतिफल का कोई संबंध नहीं है। समझौते की शर्तों और शब्दावली लेन-देन की प्रकृति को निर्धारित करने में निर्णायक कारक नहीं माना गया है। इस मुद्दे में किसी कार्य की कोई सहनशीलता शामिल नहीं है। प्राप्त राशि मूल धन और ब्याज जिसका ग्राहकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। अतः यह राशि सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस तथ्य के कारण मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है कि निर्धारिती ने अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति के बदले सहमत शर्तों पर मूल कंपनी के ग्राहकों को ऋण प्रदान किया था। यह गतिविधि उपरोक्त उद्धृत प्रावधान के अनुसार घोषित सेवा के तहत कवर की गई है।

5.7.5.2 परिसमाप्त क्षतियों की वसूली पर सेवा कर का गैर-भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई के उपखंड (ई) के अनुसार (01 जुलाई 2012 में प्रभावी), “किसी कार्य से बचने के लिए दायित्व से सहमत होना या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करना या कार्य करना” एक घोषित सेवा का गठन करेगा।

कोच्चि कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने विभिन्न कार्यों/आपूर्ति ठेकेदारों से विव14 विव15 और विव16 में क्रमशः ₹ 10.07 करोड़, ₹ 33.46 लाख और ₹ 20.66 लाख की क्षति परिसमाप्त की वसूली/ दावा किया गया था। हालांकि निर्धारिती ने खाते में परिसमाप्त क्षति को आय के रूप में मान्यता दी थी, फिर भी कोई सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विव14 से विव16 के दौरान ₹ 1.32 करोड़ के सेवा कर का गैर-भुगतान हुआ था।

जब हमने इसे लगातार लेखापरीक्षा में इंगित किया (सितम्बर 2015 और सितम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार्य थी और ₹ 1.32 करोड़ का सेवा कर की मांग करते हुए एससीएन जारी किया गया।

5.7.5.3 सेनवेट क्रेडिट का कम-उत्क्रमण

सेवा प्रदाता, कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं दोनों के प्रावधानों के लिए उपयोग की जाने वाली आगतों/ आगत सेवाओं के प्राप्ति और उपयोग के लिए अलग-अलग खातों को बनाए रखने का नहीं चुनने के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) या 6(3ए) के तहत पद्धतियों में से किसी एक के चयन द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोगी आगत सेवाओं से संबंधित सेनवेट क्रेडिट को वापस करना है।

बेंगलुरु उत्तर कमिश्नरी में एक निर्धारिती, अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं के कर योग्य सेवाओं के प्रावधान में लगी हुई है। निर्धारिती दोनों श्रेणियों के तहत कुछ छूट-प्राप्त सेवाओं को प्रदान करने में लगा हुआ था और वस्तुओं का क्रय-विक्रय में भी, जोकि एक छूट प्राप्त सेवा थी। निर्धारिती छूट-प्राप्त और कर योग्य सेवाओं दोनों को प्रदान करने के लिए सभी आगत सेवाओं के उपयोग करने पर पूरा सेनवेट

क्रेडिट का लाभ उठा रहे थे। सेवा कर रिकॉर्डों के सत्यापन पर पता चला कि गणना में गलती के कारण निर्धारिती ने विव15 से विव16 के लिए ₹ 2.43 करोड़ की सीमा तक की पूर्वोक्त नियम 6 के तहत सेनवेट क्रेडिट कम-उत्क्रमण किया।

अप्रैल 2014 से जून 2017 की अवधि को कवर करते हुए विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा इस कम-उत्क्रमण का पता लगाने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक गलती का पता नहीं लग पाया।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2017), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि सीएजी लेखापरीक्षा ने आपत्ति के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया था।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हम लेखापरीक्षा टिप्पणी के साथ आपत्तिकृत राशि की गणना के लिए अपनाए गए प्रत्येक आँकड़े के संबंध में जानकारी⁵⁴ के स्रोत का वर्णन करते हैं। विभाग निर्धारिती से इन दस्तावेजों को एकत्रित कर सकता है।

5.7.5.4 सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 प्रदान करता है कि सेवा कर प्रदाता द्वारा वसूल की गई सकल राशि पर सेवा कर का भुगतान किया जाता है।

बेंगलुरु दक्षिण कमिश्नरी में एक निर्धारिती कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाला एक वैधानिक निगम है, जो बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संचालन में लगा हुआ है। जनता को परिवहन प्रदान करने के अतिरिक्त निर्धारिती ने बसों और इसके स्वामित्व वाली इमारतों को पट्टे पर और अपने परिसरों और बसों पर विभिन्न संस्थाओं के विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देकर आय अर्जित करता है। निर्धारित को इन सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करना था। निर्धारिती के सेवा कर रिकॉर्डों के सत्यापन से पता चला कि एसटी-3 विवरणियों में निर्धारिती द्वारा घोषित इन सेवाओं का आकलन मूल्य अप्रैल 2014 से सितम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान

54 निर्धारिती की वाणिज्यिक बहियां और एसटी-3 विवरणी

बही-खातों के अनुसार एकत्रित सेवा शुल्कों से कम था। इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 1.26 करोड़ के सेवा कर का कम-भुगतान हुआ था।

विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा (जनवरी 2015) ने सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर देने के संबंध में सेवा कर के गैर/कम-भुगतान का पता लगाया। भले ही निर्धारिती ने आंतरिक लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार राशि का भुगतान किया हो इसी तरह के कम-भुगतान अक्टूबर 2014 के बाद की अवधि के लिए भी जारी रहे। अर्थात्, विभाग ने अनुवर्ती कार्यवाही के भाग के रूप में बाद की अवधि के लिए कोई एससीएन जारी नहीं किया। विभाग द्वारा बाद में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा (मार्च 2017) भी इस कम-भुगतान का पता लगाने में विफल रही। इसके अलावा, मोटर वाहनों को किराए पर देने और विज्ञापनों के लिए स्थान की अनुमति पर सेवा कर के कम-भुगतान का दोनों आंतरिक लेखापरीक्षाओं के दौरान पता नहीं लगा पाए थे।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2017), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और कहा (अगस्त 2018) कि निर्धारिती ने अचल संपत्ति के किराए के संबंध में ₹ 0.52 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था।

आईएपी की विफलता पर, मंत्रालय ने कहा कि कमिश्नरी से अनुरोध किया है कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे और तदनुसार उचित कार्यवाही करें।

5.7.5.5 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9(1), के निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा सेनवेट क्रेडिट लिया जा सकता है। उक्त नियम के खंड (बीबी) के अनुसार अनुपूरक चालान के आधार पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति नहीं है, निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा बिल या चालान जारी किया गया, जहां निर्गत सेवा के प्रदाता से कर की अतिरिक्त राशि वसूली योग्य है, जहां कर की अतिरिक्त राशि गैर-उगाही या गैर-भुगतान या कम-उगाही धोखाधड़ी या संलग्न या जान बूझकर गलत कथन या तथ्यों के दमन या किसी भी वित्तीय नियम के प्रावधान के उल्लंघन के कारण सेवा के प्रदाता

से वसूल करने योग्य हो या सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे के अधीन यह नियम बनाए गए हैं।

कोलकाता उत्तर जीएसटी कमिश्नरी (पूर्व कोलकाता एसटी-1 कमिश्नरी) के तहत बीबीडी बैग II मंडल के रेंज- III की लेखापरीक्षा (पूर्व बीबीडी बैग II मंडल के रेंज-II) जनवरी 2017 में आयोजित की थी। उक्त रेंज के सेवा कर से संबंधित खातों की लेखापरीक्षा के दौरान और निर्धारिती के दस्तावेजों के सत्यापन में, हमने पाया कि निर्धारिती ने दो सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी किए गए अनुपूरक चालान के आधार पर आगत सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लिया था, जिन्होंने वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन में विव11 से विव15 तक अपनी सेवा कर देयता पूर्ण नहीं की थी, और फरवरी 2016 में कोलकाता एसटी-1 कमिश्नरी को अपवंचन-रोधी इकाई द्वारा जांच के अनुसरण के बाद ही उनकी सेवा कर पूर्ण की थी। इसके बाद उक्त दो सेवा प्रदाताओं ने सेनवेट क्रेडिट पास करने के लिए अनुपूरक चालान जारी किए और निर्धारिती ने इसका लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप विव16 के दौरान ₹ 94.61 लाख के सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ लिया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने विव16 तक की अवधि के लिए जनवरी 2017 में निर्धारिती की लेखापरीक्षा की थी लेकिन इस चूक का पता नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटि को अनदेखा किया गया।

जब हमने यह इंगित किया (जून 2017), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की (अगस्त 2018) और रिपोर्ट की कि शास्ति के साथ मांग की पुष्टि की गई थी।

5.8 अपवंचन-रोधी सेल द्वारा जांच

निवारक एवं जांच मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों का जांच में शामिल होना अपेक्षित है और मामलों को उनकी क्रेन्द्रित, प्रभावी और त्वरित पूर्णता के लिए समीक्षा करना आवश्यक है। यद्यपि पूर्णता के लिए कोई निर्दिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी, यह उम्मीद की जाती है कि एक जटिल मामले की जांच के लिए भी छह से नौ महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11

और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 कर/शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध करता है जोकि अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को देय हो।

विव18 में रिकार्डों की नमूना जांच के दौरान, हमने चार कमिश्नरियों⁵⁵ में अपवंचन-रोधी मामलों में सुस्त जांच के 36 उदाहरण देखे, जिसके कारण डाटा की नियमित सत्यापन की जांच विचाराधीन समय की समाप्ति के बाद भी पूरी नहीं हुई थी। इन मामलों में ₹ 2.50 करोड़ का राजस्व शामिल है। मामलों के उदाहरण निम्नानुसार है।

5.8.1 एसटी-IV कमिश्नरी मुम्बई में अपवंचन-रोधी सेल की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि एक निर्धारिती के मामले में जांच नवम्बर 2013 से शुरू की गई थी। तथापि, अगस्त 2016 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आगे यह देखा गया था कि जांच अब तक (जुलाई 2018) समाप्त नहीं हुई थी।

इसी प्रकार, एसटी-V कमिश्नरी मुम्बई में अपवंचन-रोधी सेल की लेखापरीक्षा के दौरान, वित्त वर्ष 14 से विव17 की अवधि के लिए एक निर्धारिती की दिसंबर 2016 में विवरणियों की गैर/बंद फाइलिंग के विरुद्ध जांच शुरू की गई थी। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों ने ₹ 46.58 लाख की सेवा कर देयता और ₹ 35.62 लाख की ब्याज देयता का खुलासा किया। हालांकि, एक वर्ष बाद भी जांच पूरी नहीं हुई थी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि जवाब दिया जायेगा।

5.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी प्रतिदाय दावों एवं मंजूरी के लिए कानूनी प्राधिकरण प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के आवेदन की तारीख से तीन महीनों के अंदर प्रतिदाय नहीं हुई तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भी भुगतान करना है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल निर्धारित करता है कि विभाग को केवल तभी प्रतिदाय के दावों की स्वीकार करना चाहिए जब सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय का दावा हो बिना अपेक्षित दस्तावेजों के

55 मुम्बई पूर्व, मुम्बई एसटी-II, मुम्बई एसटी-IV और मुम्बई एसटी-VI

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

प्रतिदाय की मंजूरी में देर हो सकती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रतिदाय दावों से संबंधी प्रावधान सेवा कर पर भी लागू है।

विभाग द्वारा प्रतिदाय के दावों के निपटान की स्थिति को तालिका 5.3 में दर्शाया गया है। दावों की अंतिम प्रक्रिया तक प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तारीख से लिये गये समय के संबंध में देरी दर्शाई गई है।

तालिका 5.3: सेवा कर में प्रतिदाय के दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष		प्राप्ति (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)				मामले जहां ब्याज का भुगतान किया		3 महीने के निपटाए गए मामलों की संख्या
					संस्वीकृत		अस्वीकृत		सं.	ब्याज का भुगतान	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि			
विव16	20,740	12,370	26,230	10,633	23,860	6,598	7,973	6,302	0	0	1,131
विव17	12,243	8,319	33,343	14,792	28,154	9,953	7,165	5,954	4	6	1,632
विव18	10,089	6,904	22,065	10,469	16,412	5,567	4,014	3,485	11	0.01	13,020

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ें

यह देखा गया है कि विव17 की तुलना में विव18 स्वीकृत राशि के साथ-साथ प्रतिदाय के मामले के निपटान की संख्या दोनों में काफी हद तक गिरावट आई। विव18 में निपटाए गए कुल 20,426 मामलों में से 13,020 मामले (63.74 प्रतिशत) निर्धारित तीन महीने की अवधि के अन्दर संसाधित किए गए थे। विव17 में तीन महीने के भीतर 5.80 प्रतिशत मामलों के निपटान की तुलना में यह एक तीव्र वृद्धि है। विभाग ने प्रतिदाय की मंजूरी में देरी के लिए केवल 11 मामलों में ब्याज का भुगतान किया था। यद्यपि निपटान के लगभग 36 प्रतिशत मामलों में देरी हुई थी लेकिन प्रतिदाय देरी के लगभग सभी मामलों में ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जो दोनों अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे।

अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्रतिदाय के दावों के लंबन का एक वर्ष-वार विश्लेषण तालिका 5.4 में दर्शाया है।

तालिका 5.4: 31 मार्च को सेवा कर के प्रतिदाय के मामले का वर्ष-वार लंबन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष जमा वर्ष में प्राप्त दावे	31 मार्च को लंबित प्रतिदाय के दावों की कुल संख्या		लंबित प्रतिदाय के दावों के लिए			
				एक वर्ष से कम		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
व.व16	46,970	12,243	8,319	9,403	5,146	2,840	3,173
विव17	45,586	10,089	6,994	9,063	6,035	1,026	959
विव18	32,154	9,266	7,207	8,266	5,674	1,000	1,533

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ें।

यह देखा गया है कि एक वर्ष से अधिक के लंबित प्रतिदाय के लंबित दावों की संख्या में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन विव17 की तुलना में विव18 में शामिल राशि में काफी वृद्धि हुई है। विव18 के अंत शेष के आंकड़े सही नहीं प्रतीत होते हैं। सही आंकड़े 11,728 होने चाहिये जो इस प्रकार प्राप्त हुए, आदि शेष जमा वर्ष के दौरान हुई वृद्धि घटा वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले। लेकिन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अंत शेष 9,266 है। मंत्रालय इन भिन्नता के कारणों पर गौर कर सकता है।

विभाग ने एक वर्ष से अधिक लंबित मामलों को वर्ष-वार ब्रेक-अप को नहीं बनाए रखा है। ये विवरण विभाग को बहुत लंबे समय तक लंबित मामलों पर निगरानी रखने में मदद करेंगे। मंत्रालय काल-वार ब्यौरों को बनाए रखने के लिए अपने एमपीआर प्रारूप को संशोधित कर सकता है।

विव18 में विभागीय इकाईयों में रिकॉर्डों के नमूना जांच के दौरान हमने छह कमिश्नरियों⁵⁶ में प्रतिदाय आदि की मंजूरी में अनियमितता, प्रतिदाय की मंजूरी में देरी के 7 उदाहरणों को देखा। इन मामलों में ₹ 87.39 करोड़ का राजस्व शामिल था।

उपरोक्त के अलावा, हमने दो मसौदे पैराग्राफ भी जारी किए हैं (परिशिष्ट-1 की धारा डी में शामिल), जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदाय के दावों के निपटाने में कमी देखी गई थी यदि सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहीं किया गया होता तो इसका पता लगने से बच रहा होता। मंत्रालय ने दोनों

56 दिल्ली एसटी-11, मुम्बई केन्द्रीय, मुम्बई दक्षिण, अहमदाबाद-1, अहमदाबाद एसटी और बंगलुरु एसटी-11

मामले में राजस्व हानि को स्वीकार किया लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया।

कुछ निदर्शी मामलें निम्नानुसार हैं:

5.9.1 हमने विव13 से विव17 के दौरान अहमदाबाद-। कमिश्नरी के डिविजन-11 द्वारा संस्वीकृत प्रतिदायों की संवीक्षा के दौरान देखा (अप्रैल 2017) कि एक मामले में अनुचित संवर्धन के कारण दावे को निरस्त कर दिया गया था। एक निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 7.76 लाख के प्रतिदाय का आदेश सहायक कमिश्नर द्वारा ओआईओ दिनांक 30 अक्टूबर 2013 के द्वारा उपभोक्ता कल्याण निधि में क्रेडिट करने के लिए दिया गया था और ओआईओ की एक प्रति उपभोक्ता कल्याण निधि में प्रतिदाय राशि को क्रेडिट करने के लिए पीएओ, अहमदाबाद को भी भेजी गई थी।

कमिश्नर (अपील) अहमदाबाद ने प्रतिदाय के दावेदार द्वारा दर्ज की गई अपील पर अधिनिर्णयन प्राधिकरण से मामले को वापस मांगा था जिसके प्रति विभाग ने सेसटेट में अपील (कमिश्नर-अपील के रिमांड अधिकार को चुनौती देते हुए) दर्ज की थी और मामले को काल बुक में दर्ज कर दिया जिसे बाद में विभाग द्वारा वापस ले लिया गया था। तदनुसार, प्रतिदाय दावे को काल बुक से वापस ले लिया गया था और सहायक कमिश्नर ने फिर से ओआईओ दिनांक 10 नवम्बर 2016 के माध्यम से उपभोक्ता कल्याण निधि में ₹ 7.76 लाख के दावे को क्रेडिट करने का आदेश दे दिया और ओआईओ की एक प्रति दोबारा पीएओ, अहमदाबाद को भेज दी गई। इस प्रकार, यह देखा गया कि दो विभिन्न ओआईओ (अक्टूबर 2013 और नवम्बर 2016) के माध्यम से ₹ 7.76 लाख के प्रतिदाय को उपभोक्ता कल्याण निधि में क्रेडिट करने का आदेश दिया गया। पीएओ, अहमदाबाद ने भी प्रतिदाय राशि के दो बार क्रेडिट की पुष्टि की थी (अप्रैल 2017)।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2017) तब मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि पीएओ, अहमदाबाद ने प्रतिदाय की दोहरी संस्वीकृति को लौटाने के लिए प्रधान सीसीए, बोर्ड, नई दिल्ली से अनुरोध किया था।

5.9.2 बोर्ड के परिपत्र सं.869/07/2008-सीएक्स, दिनांक 16 मई 2008 के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार ₹ 5 लाख या इससे अधिक राशि वाले सभी प्रतिदाय/छूट दावे कमिश्नरी मुख्यालय में उप/सहायक कमिश्नर (लेखापरीक्षा) के स्तर पर पूर्व-लेखा परीक्षा के विषयाधीन होने चाहिए।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी (अब जीएसटी डिविजन-VI, अहमदाबाद-दक्षिण) के डिविजन-II में संस्वीकृत प्रतिदाय दावों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि एक निर्धारिती के ₹ 69.05 लाख के एक प्रतिदाय दावे को कमिश्नरी लेखापरीक्षा, सेवा कर को पूर्व लेखापरीक्षा के लिए डिविजन कार्यालय द्वारा भेजा गया था। इसे सहायक कमिश्नर (लेखापरीक्षा), सेवा कर द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा किए बिना यह कहते हुए वापस भेज दिया गया था (जनवरी 2017) कि दावेदार सेवा कर अहमदाबाद कमिश्नरी में पंजीकृत नहीं था। यह देखा गया कि विभाग ने पूर्व-लेखापरीक्षा किए बिना ₹ 69.05 लाख का प्रतिदाय संस्वीकृत कर दिया था (फरवरी 2017) जोकि बोर्ड के उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन है।

जब हमारे द्वारा इस बारे में बताए जाने पर (जनवरी 2018) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने प्रतिदाय की संस्वीकृति दी क्योंकि इसके लिए समय सीमा जल्द ही समाप्त हो रही थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कमिश्नरी, जहां निर्धारिती पंजीकृत था, की प्रतिदाय संस्वीकरण से पूर्व प्रक्रिया के पालन हेतु पहचान की जानी चाहिए थी। इस प्रकार पूर्व-लेखापरीक्षा किए बिना प्रतिदाय का संस्वीकरण बोर्ड के उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन था।

5.9.3 प्रतिदाय आदेश पर अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 5 सेवा के निर्यातक को निर्यातित आउटपुट सेवाओं के प्रति उपयोग की गई इनपुट या इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट के प्रतिदाय प्राप्त करने की अनुमति देता है जहां यह क्रेडिट अप्रयुक्त रह गया हो। ऐसे प्रतिदाय अधिसूचना सं.5/2006-सीई (एनटी) दिनांक 14 मार्च 2006 के द्वारा निर्धारित शर्तों के विषयाधीन होंगे और संस्वीकरण प्राधिकारी को प्रतिदाय की संस्वीकृति के पश्चात सेनवेट अकाउंट में उक्त राशि का उत्क्रमण सुनिश्चित करना चाहिए।

5.9.3.1 बेंगलुरु एसटी-॥ कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 की अवधि हेतु अप्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट का प्रतिदाय दावा दर्ज किया था (मार्च 2012)। डिविजनल अधिकारी ने ₹ 6.05 करोड़ का प्रतिदाय संस्वीकृत करते समय (मार्च 2016) निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में उक्त राशि के उत्क्रमण तथा प्रतिदाय की प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के अंदर ऐसे उत्क्रमण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तथापि, निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में उत्क्रमण नहीं किया था। तथापि, निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में ऐसा उत्क्रमण किए बिना रेंज अधिकारी को एसटी-3 विवरणी प्रस्तुत कर दी थी फिर भी विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016) तब मंत्रालय ने कहा कि (जून 2018) निर्धारिती ने ₹ 6.05 करोड़ वापस कर दिए थे और उक्त को अप्रैल 2017 से जून 2017 की अवधि की एसटी-3 विवरणी में दर्शाया गया था। मंत्रालय का उत्तर क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की विफलता पर मौन था।

5.9.3.2 बेंगलुरु एसटी-॥ कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 47.88 लाख के अप्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट का प्रतिदाय दावा दर्ज किया था (सितम्बर 2012)। डिविजनल अधिकारी द्वारा ₹ 40.85 लाख के प्रतिदाय को संस्वीकृत कर दिया गया (जून 2015) जबकि ₹ 7.03 लाख के दावे को अपात्र सेनवेट क्रेडिट के रूप में खारिज कर दिया गया था। संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी ने निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में उक्त राशि के उत्क्रमण तथा प्रतिदाय की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर ऐसे व्युत्क्रमण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तथापि निर्धारिती ने प्रतिदाय की प्राप्ति के बाद भी सेनवेट अकाउंट में उक्त राशि का उत्क्रमण नहीं किया था। हालांकि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट के अंत शेष के भाग के रूप में प्रतिदाय राशि को दर्शाते हुए रेंज अधिकारी को एसटी-3 विवरणी प्रस्तुत की थी फिर भी कमिश्नरी ने उक्त उत्क्रमण को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया (जून 2018) और बताया कि निर्धारिती ने ₹ 47.88 लाख वापस कर दिए थे (मार्च 2017)। मंत्रालय का उत्तर क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की विफलता पर मौन था।

5.10 एससीएन तथा अधिनिर्णयन

अधिनिर्णयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों को निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्य निर्धारण, प्रतिदाय दावों, अनंतिम निर्धारण आदि से संबंधित पहलुओं के निमित्त शामिल हो सकते हैं। अधिनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 5.5: सेवा कर में एससीएन का निपटान

वर्ष	आदि शेष		प्राप्ति (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)		अंत शेष		1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
विव16	33,136	78,529	34,613	76,592	37,296	78,997	30,453	76,124	8,587
विव17	30,453	76,124	54,310	67,413	65,710	74,596	19,053	68,941	6,919
विव18	19,053	68,941	35,173	70,918	34,180	57,220	22,208	81,280	5,789

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें।

अधिनिर्णयन हेतु लंबित कुल मामलों में विव17 की तुलना में विव18 में 16.56 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। तथापि, एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में 16.33 प्रतिशत तक कमी हुई थी। इन मामलों में शामिल कुल अंत शेष में विव17 की तुलना में विव18 में 17.90 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। विव18 के अंत शेष के आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते। सही आंकड़ें (मामलों की संख्या) वर्ष के कुल मामले घटा कुल निपटान होने चाहिए जोकि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 20,046 बनते हैं परन्तु मंत्रालय द्वारा दिया गया आंकड़ा 22,208 है। मंत्रालय को इस विसंगति के कारणों की जांच करनी चाहिए।

विव18 के दौरान एससीएन तथा अधिनिर्णयन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 2,500 एससीएन के अधिनिर्णयन में विलम्ब पाया, जिसमें से 1,783 एससीएन (71 प्रतिशत) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, एससीएन जारी न करने के छः मामले और 15 कमिश्नरियों⁵⁷ में कम मांग का एक मामला देखा। इन मामलों में शामिल राजस्व ₹ 8,295.98 करोड़ था।

उपरोक्त के अलावा, हमने दो ड्राफ्ट पैराग्राफ (परिशिष्ट-1 का भाग ई) भी जारी किए थे जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा एससीएन जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन आदेश में मांग समय बाधित हो गई। मंत्रालय ने एक मामले में लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली तथा अन्य मामले में लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार नहीं की, हालांकि निहित मामला और कमिश्नरी दोनों मामलों में समान थी।

कुल निदर्शी मामलें निम्नानुसार हैं:

5.10.1 मुंबई पूर्वी कमिश्नरी की डिविजन III ने एक निर्धारिती को विव11 से विव12 की अवधि हेतु ₹ 57.72 करोड़ के लिए और वीवीआईपी प्रचालनों हेतु तीन 747-400 विमानों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु दी गई सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करने पर विव13 की अवधि हेतु ₹ 46.60 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया था। विभाग ने इस आधार पर अगली अवधि अर्थात् विव14 के लिए आवधिक एससीएन जारी नहीं किया था कि निर्धारिती ने भुगतान कर दिया था।

अभिलेखों से यह देखा गया (अप्रैल 2018) कि विव14 के लिए निर्धारिती को अनुरक्षण लागत के भुगतान हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹ 84.06 करोड़, विदेश मंत्रालय द्वारा ₹ 56.04 करोड़ तथा गृह मंत्रालय द्वारा ₹ 196.14 करोड़ का बजटीय प्रावधान किए गए थे। इसमें से, निर्धारिती को रक्षा मंत्रालय से पूरी राशि प्राप्त हो गई थी जबकि गृह मंत्रालय ने ₹ 196.14 करोड़ के प्रति ₹ 163.14 करोड़ का आंशिक भुगतान किया था और विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई राशि नहीं दी थी। इस प्रकार निर्धारिती को विव14 के लिए

57 अहमदाबाद एसटी, भरुच, बोलपुर, चंडीगढ़-II, गुरुग्राम, हल्दिया, जमशेदपुर, मुंबई लेखापरीक्षा-I, मुंबई सेंट्रल, मुंबई पश्चिम, मुंबई पूर्व, नवी मुंबई, पंचकुला, सलेम और सोनीपत।

₹ 247.20 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई थी और उसने ₹ 336.24 करोड़ पर देय ₹ 44.03 करोड़ के सेवा कर के प्रति ₹ 30.55 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था।

इस प्रकार, निर्धारिती ने विव14 के लिए ₹ 109.04 करोड़ की शेष अनुरक्षण लागत पर ₹ 13.48 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। तथापि, विभाग ने उक्त के लिए न तो आवधिक एससीएन जारी किया और न ही निर्धारिती ने शेष अनुरक्षण लागत पर सेवा कर का भुगतान न करने पर स्पष्टीकरण दिया। इसके परिणामस्वरूप 18 महीनों की निर्धारिती समय सीमा में आवधिक एससीएन जारी न करने के कारण ₹ 13.48 करोड़ की राजस्व हानि हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.2 मुंबई पूर्वी कमिश्नरी की डिविजन-IV के अधिनिर्णयन अभिलेखों से पता चला कि एक निर्धारिती को विभिन्न सेवाओं पर विव11 एवं विव12 की अवधि हेतु क्रमशः ₹ 12.16 करोड़ और ₹ 2.70 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए अक्टूबर 2011 और अक्टूबर 2012 में दो एससीएन जारी किए गए थे। उक्त का अधिनिर्णयन किया गया और मांग की पुष्टि की गई (मई 2014) जिसके प्रति निर्धारिती ने न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी। तथापि, आगामी अवधि के लिए निर्धारिती ने कारबार सहायक सेवाओं (बीएएस), जो आपत्ति के साथ किया गया था, को छोड़कर सभी सेवाओं में अंततः कर का भुगतान कर दिया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने विव14 और विव15 की अवधि के लिए ₹ 6.49 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था इसमें से बीएएस के प्रति किए गए भुगतान पर निर्धारिती अभी तक विवाद कर रहा था। विव13 के सेवा कर भुगतान के ब्यौरों अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अतः विभाग को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए बीएएस पर अगली अवधि के लिए एससीएन जारी रखने चाहिए थे। तथापि, विभाग ने बीएएस सहित सभी सेवाओं के संबंध में विव13 के बाद से एससीएन जारी करना बंद कर दिया जोकि नियमानुसार नहीं था जिससे ₹ 6.49 करोड़ तक का राजस्व (विव14 एवं विव15) विधिक रूप से असुरक्षित हो गया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.3 नवी मुंबई कमिश्नरी के डिविजन-V के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वित्तीय लेखाओं और एसटी-3 विवरणी के बीच अंतरीय राशि पर 2012 में 2007 से 2011 और 2013 में विव12 की अवधि हेतु एक निर्धारिती को एससीएन जारी किए गए थे। इसके पश्चात, विव14 के लिए 27 सितम्बर 2017 को आवधिक एससीएन जारी किया गया था। तथापि, विव13 के लिए आवधिक एससीएन को आवधिक एससीएन की अंतिम तिथि बीत जाने के कारण जारी नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल 2018) कि विव13 के लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कुल राजस्व ₹ 8.96 करोड़ था (₹ 8.75 करोड़ की सेवा बिक्रियों सहित) जिसके प्रति निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणी में ₹ 6.45 करोड़ की घोषणा की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ (₹ 8.96 करोड़ - ₹ 6.45 करोड़) की अंतरीय राशि पर सेवा कर की अमुक्त देयता हुई। इस राशि पर सेवा कर देयता ₹ 30.17 लाख संगणित की गई। अतः आवधिक एससीएन जारी न करने के परिणामस्वरूप शास्ति एवं ब्याज के अलावा ₹ 30.17 लाख की राजस्व हानि हुई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.4 मुंबई पूर्वी कमिश्नरी की डिविजन-III के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि एक निर्धारिती को अप्रैल 2009 से जून 2012 की अवधि हेतु ₹ 11.83 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। तत्पश्चात, जुलाई 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि हेतु आवधिक एससीएन जारी किए गए थे। तथापि, विव15 के लिए विभाग ने ₹ 7.58 करोड़ की बजाय ₹ 7.15 करोड़ के सेवा कर के गैर-भुगतान की गलत गणना की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.60 लाख की कम मांग की गई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.5 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (आई) अन्य बातों के साथ-साथ बताती है कि जहां सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया है वहां एससीएन साधारण मामले में संबंधित तिथि से एक वर्ष के अंदर (28 मई 2012 से प्रभावी, अठारह माह में) और भुगतान से बचने या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने की इच्छा से छलकपट, मिलीभगत, तथ्यों के

स्वैच्छिक छिपाव आदि के मामले में संबंधित तिथि से पाँच वर्षों के अंदर भेजा जाना चाहिए।

5.10.5.1 फरवरी 2018 में डिब्रुगढ़ कमिश्नरी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने “मूर्त माल की आपूर्ति” के तहत सेवा कर के गैर-भुगतान जारी करने के लिए समय-सीमा में विस्तारित अवधि मांगने के लिए विव12 से विव15 (नवम्बर 2014 तक) के लिए ₹ 32.86 लाख (ब्याज एवं शास्ति सहित) की मांग दर्शाते हुए 28 सितम्बर 2015 एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया था और अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 18 मार्च 2016 के उसके आदेश से उक्त मांग की पुष्टि की थी। तत्पश्चात, अपील प्राधिकारी ने दिनांक 15 फरवरी 2017 के उसके आदेश द्वारा इस आधार पर मांग को आंशिक रूप से (24 अक्टूबर 2013 की पूर्व अवधि से संबंधित मांग) छोड़ दिया था कि एससीएन में मांग का हिस्सा समय बाधित हो गया था। इस प्रकार, समय पर एससीएन जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.76 लाख की राजस्व हानि हुई।

तीन निर्धारितियों के संबंध में इसी कमिश्नरी में समान अनियमितताएँ देखी गई थी जिसमें क्रमशः ₹ 13.71 लाख, ₹ 12.45 लाख और ₹ 15.45 लाख की राजस्व हानि हुई थी। एससीएन जारी करने में विलम्ब के कारण कुल राजस्व हानि ₹ 56.37 लाख थी।

अतः कमिश्नरी द्वारा एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि के गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप अपील प्राधिकारी द्वारा मांग समय बाधित हो गई जिससे राजस्व की हानि हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2018) तब मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2018) कि मामला पहले ही विभाग के संज्ञान में था।

मंत्रालय का उत्तर विभाग द्वारा समय पर एससीएन जारी करने में विफलता संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी से संबंधित नहीं है जिसके कारण अधिनिर्णयन में मांग समय बाधित हो गई थी।

5.10.5.2 समान कमिश्नरी (डिब्रुगढ़ कमिश्नरी) ने एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समय सीमा अवधि मांगते हुए विव11 और विव12 की अवधि के लिए ₹ 21.70 लाख की मांग दर्शाते हुए एक निर्धारिती को एससीएन जारी

किया था (अप्रैल 2014)। वह एससीएन फरवरी 2013 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर जारी किया गया था।

अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 27 नवम्बर 2014 के आदेशानुसार इस आधार पर उक्त मांग को छोड़ दिया कि उक्त पर अक्टूबर 2008 से जून 2010 की अवधि को कवर करते हुए पहले एक एससीएन जारी किया गया था और उसी ठेके पर विस्तारित समयावधि मांगते हुए 14 मार्च 2013 को निर्धारिती को जारी किया गया था और विभाग को 2008 से निर्धारिती द्वारा निष्पादित कार्यकलापों के बारे में पूर्णतः जानकारी थी। अतः दूसरे एससीएन में निर्धारिती द्वारा तथ्य छुपाने का आरोप संधारणीय नहीं था क्योंकि निर्धारिती द्वारा निष्पादित कार्यकलाप अनवरत प्रक्रिया थे और विभाग सामान्य समय सीमा में आवधिक रूप से एससीएन जारी कर सकता था। अतः समय सीमा में एससीएन जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 21.70 लाख की राजस्व की हानि हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2018), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (अगस्त 2018) और बताया कि ऐसी चूक के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।

5.11 अन्य चूकें

हमने ₹ 6.10 करोड़ के राजस्व वाले 11 मामले देखे (परिशिष्ट-4 की धारा एफ में शामिल किए गए) जो क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों की कार्यप्रणाली में कमी को दर्शाते हैं। मंत्रालय ने सात मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली और चार मामलों में मंत्रालय ने राजस्व हानि स्वीकार की परन्तु विभागीय चूक स्वीकार नहीं की।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

5.11.1 अनुवर्ती कार्यवाही में कमियाँ

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे विवरणियों की संवीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा का वांछित प्रभाव केवल तब होगा जब क्षेत्राधिकारी अधिकारी पूर्व में देखी गई चूकों पर उचित अनुवर्ती कार्यवाही करें।

अहमदाबाद उत्तर कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के तहत किसी ब्याज का भुगतान किए बिना लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि अर्थात् विव13 से विव17 के दौरान देय सेवा कर के भुगतान में निरंतर विलम्ब किया था। विभाग के निवारक विंग ने दिसम्बर 2015 तक निर्धारिती की ब्याज देयता और शास्ति पर टिप्पणी की थी (जुलाई 2016) जिसके बावजूद निर्धारिती ने अपनी ब्याज देयता का भुगतान किए बिना अगली अवधि हेतु सेवा कर भुगतान में विलम्ब जारी रखा। जनवरी 2016 से फरवरी 2017 की अवधि हेतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज ₹ 33.31 लाख था।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2017), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2017) और सूचना दी कि निर्धारिती ने ₹ 33.31 लाख की आपत्तिकृत ब्याज राशि का भुगतान कर दिया है (मई से अक्टूबर 2017)। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि कानून के अनुसार ब्याज भुगतान के लिए निर्धारिती पर दंड लगाया गया था, रेंज अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आदतन दोषी होने और निवारक विंग द्वारा बताए जाने के बावजूद रेंज अधिकारी द्वारा सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक निर्धारिती के विरुद्ध कोई प्रतिरोधी उपाय नहीं किए गए।

5.11.2 अमान्य दस्तावेजों के आधार पर सेनवेट क्रेडिट की निरंतर अनियमित प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9(आई) के अनुसार सेनवेट क्रेडिट आऊटपुट सेवा के प्रदाता द्वारा जारी बीजक/बिल/चालान के आधार पर लिया जाना चाहिए। सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4(ए1) के अनुसार कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यथावत हस्ताक्षरित, क्रमबद्ध ढंग से संख्या डाले गए और ऐसे व्यक्ति का नाम, पता एवं पंजीकरण संख्या वाले बीजक/बिल/चालान; कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता; प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली करयोग्य सेवा का विवरण, वर्गीकरण और मूल्य तथा उस पर देय सेवा कर जारी करेगा। बैंकिंग कम्पनी

के मामले में इस उप-नियम के परन्तुक के अनुसार बीजक/ बिल/चालान में कोई दस्तोवज, जो भी नाम हो, चाहे वह क्रमबद्ध ढंग से संख्या डाली गई हो या नहीं और चाहे करयोग्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता लिखा हो या नहीं, शामिल किया जाएगा परंतु नियम 4(ए)(1) के तहत अपेक्षित अन्य सूचना शामिल होगी।

कालीकट कमिश्नरी के अंतर्गत बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले एक सेवा कर निर्धारिती ने मई 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान बीजकों के बिना ₹ 38.75 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त और उपयोग किया। क्रेडिट को नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) प्रचालनों, एक साझा ऑटोमेटिड टेलर मशीन (एटीएम) नेटवर्क जो विभिन्न बैंकों के एटीएम स्विच से इंटर कनेक्टेड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रचालित थी, से संबंधित संव्यवहारों के ई-विवरणों के आधार पर प्राप्त किया गया था।

सीएजी के 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.4 के पैरा सं. 6.1 के द्वारा समान मामले के बारे में बताया गया था जिसमें सितम्बर 2010 में इसी कमिश्नरी में अन्य निर्धारिती, को वर्ष 2012 में विभाग ने एससीएन जारी किया था। परन्तु निर्धारिती द्वारा एनएफएस प्रचालनों पर क्रेडिट की समान अनियमित प्राप्ति की पहचान हेतु कार्यवाही नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2015), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया तथा बताया (अगस्त 2018) कि अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान ब्याज एवं शास्ति सहित लिए एवं उपयोग किए गए ₹ 1.66 करोड़ के अपात्र सेनवेट क्रेडिट की मांग करते हुए निर्धारिती को एससीएन दिनांक 11 अप्रैल 2016 को जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि संबंधित कमिश्नर से संभावित राजस्व जोखिम मामलों के साथ व्यवहार करने में अधिक सावधानी बरतने के लिए क्षेत्राधिकारी और आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा गया है।

5.11.3 संशोधित एसटी-3 विवरणी की विलम्ब से फाइलिंग के संबंध में रेंज अधिकारी द्वारा कार्यवाही न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 7बी अनुबंध करता था कि एक निर्धारिती नियम 7 के अंतर्गत विवरणी के प्रस्तुतिकरण की तिथि (अर्थात् मूल विवरणी की फाइलिंग की तिथि) से नब्बे दिनों की अवधि में गलती या त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म एसटी-3 में संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

रेंज-II, डिविजन-अंजर (भचाऊ), कच्छ कमिश्नरी (गांधीधाम) के क्षेत्राधिकार में आने वाली एक निर्धारिती ने अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 11.75 लाख के सेवा कर का कम भुगतान किया था जिसका प्रदत्त अवधि की इसकी एसटी-3 विवरणी से पता चला।

तत्पश्चात, निर्धारिती ने 27 मई 2015 को आधे वर्ष अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013 (अर्थात् चूक की प्रदत्त अवधि से पूर्व की अवधि) के लिए संशोधित एसटी-3 विवरणी प्रस्तुत की थी जिसमें इसने दर्शाया कि इसने वास्तव में देय सेवा कर के प्रति अधिक शुल्क भुगतान कर दिया था। विभागीय पत्राचार से प्रतीत हुआ कि निर्धारिती अनुवर्ती आधे वर्ष (अर्थात् अक्टूबर 2013 से मार्च 2014) के दौरान किए गए कम भुगतान को कवर करने के लिए पूर्व अवधि के अधिक भुगतान का (संशोधित विवरणी में दर्शाया गया) समायोजन करना चाहता था।

चूँकि, निर्धारिती ने उक्त नियम 7बी के तहत अनुमत 90 दिनों की अवधि के पश्चात 27 मई 2015 (अर्थात् 23 अक्टूबर 2013 को फाइल की गई मूल विवरणी की तिथि से 19 माह के बाद) सितम्बर 2013 को अप्रैल-सितम्बर 2013 की अवधि हेतु संशोधित विवरणी फाइल की थी, इसलिए यह समय बाधित हो गई और संशोधित विवरणी के अंतर्गत दावा की गई किसी राशि की अनुवर्ती विवरणी में समायोजन हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

रेंज अधिकारी द्वारा पूर्व में भुगतान किए गए अधिक सेवा कर के समायोजन हेतु एसटी-3 विवरणी की विलम्बित फाइलिंग को अस्वीकार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.75 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिसकी लागू ब्याज सहित वसूली करना आवश्यक था।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2018) और बताया कि निर्धारिती ने ₹ 11.75 लाख जमा करा दिए थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि निर्धारिती ने अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि हेतु ऑनलाइन संशोधित विवरणी फाइल नहीं की थी जो कानून द्वारा अधिदेशित थी। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारी रेंज अधिकारी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि निर्धारिती द्वारा संशोधित विवरणी फाइल न की गई होती तब रेंज अधिकारी को कम भुगतान राशि की वसूली के लिए परिशोधन कार्यवाही करनी चाहिए थी जोकि संबंधित अवधि हेतु निर्धारिती द्वारा फाइल की गई मूल विवरणी से स्पष्ट था।